अवीक्षित सिंह
मुख्य अभियन्ता

तापीय परिचालन इकाई
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि0
14वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
Ph. No. . 0522.2287873ए Fax No.- 0522.228786
Email ID-cgm.to@uprvunl.org
CIN:U40101UP1980SGC005065

पत्रांक :631/मु0अभि0(ता0परि0)/उ0अनु0/ ओबरा   दिनांक :15.07.2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं0–07 (94 मे0वा0) को स्थापित क्षमता से हटाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर, उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 23.08.2017 की 172वीं बैठक में इकाई को स्थापित क्षमता से हटाने का अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन शासन से भी प्राप्त कर लिया जाये। उक्त निर्णय के क्रम में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–913/24–1–2022–1345/2017, दिनांक 07.07.2022 द्वारा ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं0–07 की आर0 एण्ड एम0 योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल एवं उ0प्र0 शासन के निर्णय के आलोक में , ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं0–07 (94 मे0वा0) को दिनांक 07.07.2022 से उ0नि0लि0 की अधिष्ठापित क्षमता से हटाया जाता है।

निदेशक मण्डल एवं उ0प्र0 शासन के अनुमोदनोपरान्त

पत्रांक :631/मु0अभि0(ता0परि0)/उ0अनु0/ओबरा   **दिनांक : 15.07.2022**

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर डेटा मैनेजमेंट डिवीजन, सेवा भवन रामा कृष्णापुरम, नई दिल्ली।

15.07.2022
(अवीक्षित सिंह)
o/c **मुख्य अभियंता (ता0परि0)**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 7वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (तकनीकी)/परि0 एवं वाणिज्य/वित्त/का0प्र0एवंप्रशा0), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक, एस0एल0डी0सी0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊं
7. मुख्य अभियंता (पी0पी0एम0एम0/मा0सं0/ईंधन/आर0 एण्ड एम0/वाणिज्य/प्रगति/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ जानपद–नव परियाजना), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता, ओबरा ताप विद्युत गृह, ओबरा–सोनभद्र।
10. कार्यालय प्रति।

15.07.2022
(अवीक्षित सिंह)
मुख्य अभियंता (ता0परि0)
o/c

संख्या–913/24–1–2022–1345/2017

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 7 जुलाई, 2022

विषयः– ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र सं0:– 52/मु0अभि0(आर0 एण्ड एम0), दिनांक 27 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त ई0टी0एफ0 की बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में ओबरा अ ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3– अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

Sr. Adv (T)

प्रबन्ध निदेशक
उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०

No. 400/VIP/Sr.ADV.(T) UNL
Dated 08.07.2022

CE(TO)/CE(R&M)/CGM, Obra/File
For n/a

08/07/2022
(Ajit Kumar Tewary)
Sr. Advisor to MD, UNL

SE(TO)
CE(TO)

No. 261 VIP/MD/RVUNL
Dated 07.07.2022

अनुलग्नक 5

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 172वीं बैठक जो दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या–172.2.26 का उद्धरण

कम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
172.2.26	ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 के आर एण्ड एम कार्यों को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 के आर0 एण्ड एम0 कार्यों को निरस्त करने के सम्बन्ध में निम्न अनुमोदन प्रदान किये :– क) इकाई सं0 7 के अत्यधिक पुरानी (लगभग 42 वर्ष) होने के कारण, नये पर्यावरणीय मानकों के दृष्टिगत् प्रस्त्तर 10 में उल्लिखित पर्यावरणों मानकों को प्राप्त करने हेतु लगभग रु0 150.00 करोड़ का व्यय के साथ–साथ स्थानाभाव एवं लगभग दो वर्ष का अतिरिक्त समय लगने के कारण इकाई सं0 7 में चल रहे आर0 एण्ड एम0 योजना को निरस्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। ख) निदेशक मण्डल ने इकाई सं0 07 को स्थापित उत्पादन क्षमता से हटाने का अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन का भी अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये।

ह0
(कामरान रिजवी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सत्यप्रति प्रमाणित

(प्रदीप [illegible])
कम्पनी सचिव
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
नवाँ तल, शक्तिभवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ

प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2020 को सम्पन्न हुई अप्रेजल एवं मूल्याकंन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 03.01.2020 को सम्पन्न हुई अप्रेजल एवं मूल्याकन समिति की बैठक में ओबरा परियोजना की इकाई सं0 7 के आर एण्ड एम कार्यों को निरस्त करने हेतु उ0नि0लि0 द्वारा समिति के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

अ. ओबरा परियोजना की इकाई सं0 7 के अत्यधिक पुरानी (लगभग 42 वर्ष) होने के कारण, नये पर्यावरणीय मानकों को प्राप्त करने हेतु लगभग रू0 150.00 करोड़ का व्यय के साथ साथ स्थानाभाव एवं लगभग दो वर्ष का अतिरिक्त समय लगने के कारण इकाई सं0 7 में चल रहे आर एण्ड एम योजना को short close करने हेतु अनुमोदन ।

ब. इकाई सं0 7 को अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु अनुमोदन ।

शासन स्तर पर गठित ई0टी0एफ0 के अनुमोदन से पूर्व अप्रैजल मूल्याकंन समिति की दिनांक 24.10.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में संस्तुति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उ0नि0लि0 द्वारा वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में अप्रेजल एवं मूल्याकंन समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ओबरा परियोजना की इकाई सं0 7 एवं 8 के आर0 एण्ड एम0 का एकल अनुबन्ध होने के दृष्टिगत् इकाई सं0 7 के आर0 एण्ड एम0 कार्यों को निरस्त करने एवं deletion के प्रस्ताव को इकाई सं0 8 के पूर्व में निरस्त किये गये आर0 एण्ड एम0 को सम्मिलित करते हुये comprehensive प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 03.01.2020 को सम्पन्न हुई अप्रेजल एवं मूल्याकंन समिति की बैठक में ओबरा परियोजना की इकाई सं0 7 से सम्बन्धित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया गया ।

उक्त के परिपेक्ष्य में निदेशक (तकनीकी) द्वारा अप्रेजल मूल्याकंन समिति को अवगत कराया कि :-

इकाई सं0 7 एवं 8 के आर एण्ड एम कार्यों का अनुमोदन ई0टी0एफ0 की दिनांक 03.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में प्रदान किया गया । योजना की कुल लागत रू0 178.00 करोड़ है जिसमें 80 प्रतिशत लागत पी0एफ0सी0 से एवं 20 प्रतिशत लागत शासकीय अंशपूँजी से वित्त पोषित है ।

इकाई सं0 7 का आर एण्ड एम कार्य प्रभावी तिथि (04.12.2009) से 23 माह में तथा इकाई सं0 8 का कार्य 31 माह में पूरा करना था। इकाई सं0 7 का शट डाउन दिनांक 01.07.2010 को दिया गया लेकिन मै0 बीएचईएल द्वारा शुरू से ही कार्य को धीमी गति से किया गया ।

केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक B-33014/7/2006/ESS-PCI-II dated 24.02.2011 के द्वारा इकाई सं0 8 को बन्द करने एवं इकाई सं0 7 के कार्य को नये ई0एस0पी0 के साथ पूरा कराने के निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में इकाई सं0 8 के आर एण्ड एम कार्यों को मार्च 2013 में निरस्त कर दिया गया एवं इकाई को अधिष्ठापित क्षमता से हटाने का अनुमोदन शासन के पत्रांक 363/24-1-2018-1058/ 2011 दिनांक 26 फरवरी, 2018 द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

इकाई सं0 8 में रू0 38.78 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति प्राप्त हो गई थी जिसमें से रू0 24.03 करोड़ की सामग्री का उपयोग उ0नि0लि0 की अन्य परियोजनाओं पर कर लिया गया है ।

इकाई सं0 7 में नये ई0एस0पी0 की स्थापना के लिये भी प्रकिया प्रारम्भ कर दी गयी थी एवं इसकी अनुमानित लागत रू0 47.60 करोड़ थी।

AE R&M, Obra 25/01

CE (R&M)/file. 203

No. ... Date 25/01/2020

25/01/2020

पी0 गुरुप्रसाद
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि
उ0प्र0 पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि
7वां तल, शक्ति भवन
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–22600

पत्रांकः 810/मु0अभि0(आर एण्ड एम)/ओबरा

दिनॉकः अगस्त, 11, 2021

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा),
बहुखण्डी भवन, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय : **ओबरा ताप विद्युत गृह इकाई सं0 7 के आर0 एण्ड एम0 कार्यों को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु इनर्जी टास्क फोर्स के अनुमोदनार्थ टिप्पणी**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न हुई 172वीं बैठक में इकाई सं0 7 के आर एण्ड एम कार्यों के निरस्त करने के सम्बन्ध में ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 के आर0 एण्ड एम0 कार्यों को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं तदोपरान्त दिनांक 06.07.2021 को अप्रैजल एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में संस्तुति प्रदान करते हुये शासन स्तर पर गठित इनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस परिप्रेक्ष में इनर्जी टास्क फोर्स के विचारार्थ टिप्पणी संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करवाने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय

(पी0 गुरुप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

Tel. No. 0522-2287874/2218714 Fax-0522-2287885 **E-Mail:** cmd@upptcl.org

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM Ltd. आर० एण्ड एम० इकाई 14वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ। CIN No. U40101UP1980SGC005065	UPRVUNL

पत्रांकः 442 /मु0अभि0/आर एण्ड एम/ दिनॉक : फरवरी 12 2021

मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
14वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ ।

विषय : ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं0–07 (94 मे0वा0) को उत्पादन क्षमता से हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित इस इकाई के पत्रांक 432/मु0अभि0/आरएण्डएम/ओबरा दिनांक 11.02.2021 द्वारा प्रेषित कमांक 2 एवं 3 पर पुनरीक्षित सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

2. शासन से प्राप्त प्रपत्र के प्रस्तर–4 पर तालिका कमांक 3 में दिये गये उत्तर के अनुकम में अवगत कराना है कि निदेशक मण्डल के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 03.01.2020 को शासन स्तर पर अप्रैजल मूल्याकंन समिति की सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये इकाई सं0 7 में चल रहे आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया :–

   क. आर एण्ड एम के दौरान इकाई में आपूर्तित एवं स्थापित सामग्री का उ0नि0लि0 की परियोजनाओं, सार्वजनिक उपकमों, अन्य यूटिलिटी तथा सी0ई0ए0/बी0एच0ई0एल0 के माध्यम से अन्यत्र उपयोग की सम्भावना के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रयास ।
   ख. आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं इकाई को अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के उपरान्त इकाई की स्क्रैप वैल्यू आंकलन ।
   ग. मै0 बी0एच0ई0एल0 द्वारा आर एण्ड एम कार्यों में की गई देरी के कारण बी0एच0ई0एल0 से क्षतिपूर्ति हेतु काटी गई पैनाल्टी का अनुबन्ध के अनुसार योजना लागत में समायोजन ।

ओबरा तापीय परियोजना से उक्त बिन्दु सं0 'क' एवं 'ग' के सम्बन्ध में दिनांक 26.08.2020 तथा बिन्दु सं0 'ख' के सम्बन्ध में ई–मेल दिनांक 11.02.2021 के द्वारा निम्न सूचना प्राप्त की गई :–

   क. आर एण्ड एम के दौरान इकाई में आपूर्तित एवं स्थापित सामग्री में से लगभग रु0 ~~35.40~~ Rs. 35.44 करोड़ की सामग्री निगम की विभिन्न परियोजनाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपकमों में उपयोग की जा चुकी हैं ।
   ख. परियोजना द्वारा सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा शीध्रताशीध्र कार्यदायी एजेन्सी द्वारा वैल्यूवेशन रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ।
   ग. आर एण्ड एम कार्यों में की गई देरी के कारण मै0 बी0एच0ई0एल0 से क्षतिपूर्ति हेतु कार्य एवं आपूर्ति के अर्न्तगत कुल रु0 2,15,17,319.00 की धनराशि पैनाल्टी के रुप में काटी गई ।

3. शासन के प्रस्तर–5 पर वॉछित सूचना हेतु कमांक 2 पर दिये गये उत्तर को संदर्भित करने का कष्ट करें (निदेशक मण्डल तथा अप्रैजल मूल्याकंन समिति के निर्णय की प्रति संलग्न)।

(राजीव कुमार कालरा)
मुख्य अभियन्ता (आर0 एण्ड एम0)

प्रतिलिपि :–निदेशक (तकनीकी), उ0नि0लि0, 8वॉ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

संख्या–913 / 24–1–2022–1345 / 2017

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 7 जुलाई, 2022

विषयः– ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र सं0:– 52 / मु0अभि0(आर0 एण्ड एम0), दिनांक 27 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त ई0टी0एफ0 की बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में ओबरा अ ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3– अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

CE (R&M)/CGM, Obra/File

भवदीय,

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

Dir. Adm (T)

Er. U.K. Diwakar, EE
13.7.22

261
07-07-2022

13/07/2022

संख्या–913/24–1–2022–1345/2017

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 7 जुलाई, 2022

विषय:– ओबरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र सं0:– 52/मु0अभि0(आर0 एण्ड एम0), दिनांक 27 जनवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त ई0टी0एफ0 की बैठक दिनांक 09.12.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में ओबरा अ ताप विद्युत गृह की इकाई सं0 7 (94 मे0वाव) में चल रही आर एण्ड एम योजना को शार्ट क्लोज करने एवं अधिष्ठापित क्षमता से हटाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

3– अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Sr. Adm (T)

प्रबन्ध निदेशक
उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०

CE (R&M)/CGM, Obra/file

भवदीय,

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

261 07-07-2022

Er. U.K. Diwakar, EE
13-7-22

SB (TO)
13/07/2022
CE (TO)

UPRVUNL
उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि.

संदर्भ सं0

टिप्पणी एवं आदेश

(नोट शीट)

मुख्य अभियंता (आर एंड एम इकाई)

अवगत कराना है कि उ० प्र० शासन के पत्र संख्या - 913/24-1-2022-1345/2017, दिनांक 07-07-22 द्वारा ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाई सं०-07 को अधिष्ठापित क्षमता से हटाने एवं आर एंड एम योजना को शार्ट क्लोज करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु इस पत्र में इकाई को उत्पादन क्षमता से हटाने की कोई तिथि नहीं बताई गई है।

अतः कृपया इकाई को उत्पादन क्षमता से हटाये जाने की तिथि स्पष्ट करना चाहें।

Ali mehdi
15-7-22

18/7/2022

(अली मेहदी)
अधीक्षण अभियंता (ता० परि०)

(अवीक्षित सिंह)
मुख्य अभियंता (ता० परि०)

मु० अ० (ता० परि०)

ऊर्जा अनुभाग -1 के उपरोक्त पत्र दि० 7.7.2022 का है जिसमें इकाई के डिलीशन हेतु ~~कोई~~ तिथि इंगित नहीं है अतः अधोहस्ताक्षरी का मत है कि उ.प्र.शासन के पत्र दि० 7.7.22 से ही ओबरा की इकाई 7 के डिलीशन को प्रभावी माना जाय।

(signature)
15.07.22
मु० अ० (आर एण्ड एम)